EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page No. 2413—2427
Dated 21-7-2001

अधिसूचना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेटेंट कार्यालय (समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम, 1983 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन, उप नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन, सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन तथा पेटेंट और डिजाइन परीक्षक से है, का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है महा नियंत्रक का पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के पेटेंट कार्यालय में समूह ''क'' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, समूह ''क'' भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन-सह-ज्येष्ठता या चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन	2*(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	14,300-400-18,300/-रु.	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	हां

1	2	3	4	5	6	7
					टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक :— (i) भौतिकी/रसायन/जीव-रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/आण्विक जीव विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/जीव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी से डिग्री या समतुल्य। (ii) मूल प्रकाशित पत्रों के अभिलेख सहित 15 वर्ष का अनुसंधान अनुभव, या किसी औद्योगिक या इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय क्षमता में 15 वर्ष का अनुभव, या पेटेंट कार्यालय में पर्यवेक्षीय क्षमता में 15 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण : 2**—अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) भर्ती बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित। अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :**— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) प्रशासनिक अनुभव।	नहीं	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** (1) ऐसा उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (2) उपर्युक्त (1) के न हो सकने पर ऐसा उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन जिसने उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन और सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन के रूप में 10 वर्ष सम्मिलित सेवा की है, जिसमें से कम से कम उप नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन की श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग — अध्यक्ष (ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न — सदस्य (iii) ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन — सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :—** (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग — अध्यक्ष (ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न — सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
उप नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन	7*(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000–375–16,500 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :**—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो	हां

		असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक :— (i) भौतिकी/रसायन/जीव-रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/आणविक जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (ii) मूल प्रकाशित पत्रों के अभिलेख सहित 10 वर्ष का अनुसंधान अनुभव, या किसी औद्योगिक या इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव, या पेटेंट कार्यालय में पर्यवेक्षीय क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1—अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) भर्ती बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण 2—(i) में निश्चित शैक्षिक अर्हताएं भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएंगी। वांछनीय :— (i) प्रशासनिक अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य और किसी बार में प्रेक्टिस का अनुभव। (iii) विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आदि का ज्ञान।	नहीं	लागू नहीं होता

11	12
(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** (1) ऐसा सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (2) उपर्युक्त (1) के न हो सकने पर ऐसा सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन जिसने सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन और पेटेंट और डिजाइन परीक्षक के रूप में 10 वर्ष सम्मिलित सेवा की है, जिसमें से कम से कम सहायक नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन की श्रेणी में 4 वर्ष सेवा की हो।

13		14
समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :—		लागू नहीं होता
(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—अध्यक्ष	
(ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न	—सदस्य	
(iii) ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन	—सदस्य	
समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :—		
(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—अध्यक्ष	
(ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न	—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
सहायक नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन	13*(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित	10,000-325-15,200/-रु.	योग्यता के आधार पर चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

8	9	10
आवश्यक :— (i) भौतिकी/रसायन/जीव-रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/आणविक जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (ii) मूल प्रकाशित पत्रों के अभिलेख सहित 5 वर्ष का अनुसंधान अनुभव, या किसी औद्योगिक या इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय क्षमता में 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, या पेटेंट कार्यालय में पर्यवेक्षीय क्षमता में 5 वर्ष का अनुभव।	नहीं	2 वर्ष

2224 G.I./2001-2

8	9	10
टिप्पण : 1—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) भर्ती बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय :— (i) अनुसंधान प्रशासनिक अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य । (iii) विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आदि का ज्ञान। टिप्पण (i) में निश्चित शैक्षिक अर्हताएं भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी।		

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (1) ऐसा पेटेंट और डिजाइन परीक्षक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —अध्यक्ष (ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य (iii) ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य (iv) विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में किसी अन्य संगठन से दो विशेषज्ञ जो कम से कम वैज्ञानिक (ई) या समतुल्य की पंक्ति के हो। —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —अध्यक्ष (ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
पेटेंट और डिजाइन परीक्षक	44*(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	8,000-275-13,500/-रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :**—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

8	9	10
आवश्यक :— (i) भौतिकी/रसायन/जीव-रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/आणविक जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। **वांछनीय :**— (i) अनुसंधान अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (iii) विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आदि का ज्ञान। **टिप्पण** (i) में निश्चित शैक्षिक अर्हताएं भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगीं।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —अध्यक्ष (ii) महा नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 8/45/2000-पी पी एण्ड सी]

राजीव रंजन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 13th July, 2001

G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Patent Office (Group 'A' and Group 'B' posts), Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the post of Joint Controller of Patents and Designs, Deputy Controller of Patents and Designs, Assistant Controller of Patents and Designs and Examiner of Patents and Designs, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Grade 'A' post in Patent Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Patent Office Group 'A' Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of Recruitment to the post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection by merit or selection by seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Centre Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Joint Controller of Patents and Designs	2* (2001) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 14,300-400-18,300	Selection by merit	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government).	Yes

6
Note :—The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidate in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry /Bio-Chemistry/ Microbiology/Molecular Biology/Bio-Technology/ Bio-Physics or Degree in Technology/Engineering of a Recognised University or Equivalent. (ii) 15 years research experience with record of original published paper or 15 years experience in supervisory capacity in an industrial or Engineering Organisation or 15 years experience in supervisory capacity in Patent Office.	No	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment.

8
Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable by the Recruitment Board in consultation with the Central Government in case of candidates belonging the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them. **Desirable :** (i) Degree in Law of recognised university or equivalent. (ii) Administrative Experience.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which the promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Permotion : (1) Deputy Controller of Patents and Designs, with 3 years regular service in the grade. (2) Failing (1) above Deputy Controller of Patents and Designs with 10 years combined service as Deputy Controller of Patents and Designs and Assistant Controller of Patents and Designs, out of which at least (2) years in the grade of Deputy Controller of Patents and Designs.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) : (i) Joint Secretary (Administration) Department of Industrial Policy and Promotion—Chairman (ii) Controller General of Patents and Designs and Trade Marks—Member (iii) Senior Joint Controller of Patents and Designs—Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Joint Secretary Department of Industrial Policy and Promotion—Chairman (ii) Controller General of Patents and Designs and Trade Marks—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Deputy Controller of Patents and Designs	7* (2001) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 12,000-375-16,500	Selection by merit	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government).	Yes

			6
			Note :—The crucial date for determining age limit shall be the closing date from receipt of applications for candidate in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.

8	9	10	11
Essential : (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry /Bio-Chemistry/ Microbiology/Molecular Biology/Bio-Technology/ Bio-Physics or Degree in Technology/Engineering of a Recognised University or Equivalent. (ii) 10 years research experience with record of original published paper or 10 years experience in supervisory capacity in an industrial or Engineering Organization or 10 years experience in supervisory capacity in Patent Office. **Note** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable by the Recruitment Board in consulation with the Central Government in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Not applicable	(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 50% by direct recruitment.

8	9	10	11
Desirable : (i) Administrartive Experience. (ii) Degree in Law of recognised university or equivalent of practice in the bar. (iii) Knowledge of foregin language like German, French, Russian, Spanish, etc.			

Note : The exact educational qualifications in (i) shall be specified at the time of recruitment.

12	13	14
Promotion : (1) Assistant Controller of Patents and Designs, with 5 years regular service in the grade. (2) Failing (1) above Assistant Controller of Patents and Designs with 10 years combined service in the grade of Assistant Controller of Patents and Designs and Examiner of Patents and Designs, out of which at least 4 years should be in the grade of Assistant Controller of Patents and Designs.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering permotion) : (i) Joint Secretary, Administration, Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman (ii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks —Member (iii) Senior Joint Controller/Joint Controller of Patents and Designs —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Joint Secretary Admn. Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman (ii) Controller General Patents, Designs and Trade Marks —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Assistant Controller of Patents and Designs	13* (2001) *Subject to variation depending upon the workload.	Genreal Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 10,000-325-15,200	Selection by merit	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). **Note** :—Thecrucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidate in India. (and not the closing date prescribed for thosein Assam, Meghalaya,Arunachal Pradesh, Mozoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of	Yes

1	2	3	4	5	6	7
					Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.	

8	9	10	11
Essential : (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry /Bio-Chemistry/ Microbiology/Molecular Biology/Bio-Technology/ Bio-Physics or Degree in Technology/Engineering of a Recognised University or Equivalent (ii) 5 years research experience with record of original published paper or 5 years practical experience in supervisory capacity in an Industrial or engineering organization or 5 years experience in supervisory capacity in Patent Office. **Note** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable by the Recruitment Board in consultation with the Central Government in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :** (i) Research Administrartive Experience. (ii) Degree in Law of a recognised university or equivalent. (ii) Knowledge of foreign language like German, French, Russian, Spanish, etc.	No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.

Note : The exact educational qualifications in (i) shall be specified at the time of recruitment.

12	13	14
Promotion : (1) Examiner of Patents and Designs, with 5 years regular service in the grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) : (i) Joint Secretary, Administration, Department of Industrial Policy Promotion —Chairman (ii) Controller General Patents, Designs and Trade Marks —Member (iii) Senior Joint Controller of Patents and Designs —Member (iv) Two experts from other organization in the field of Science and Technology at least in the rank of Scientist E or equivalent. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Joint Secretary Admn. Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman (ii) Controller of Patents, and Designs —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Examiner of Patents and Designs	44* (2001) *Subject to variation depending upon the workload.	Genreal Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 8,000-275-13,500	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). **Note** :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.	Yes

8	9	10	11
Essential : (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry /Bio-Chemistry/ Microbiology/Molecular Biology/Bio-Technology/ Bio-Physics or Degree in Technology/Engineering of a Recognised University or Equivalent. **Desirable :** (i) Research Experience. (ii) Degree in Law of a recognised university or equivalent (ii) Knowledge of foregin language like German, French, Russian, Spanish, etc.	Not applicable	2 years	By direct recruitment.

Note : The exact educational qualifications in (i) shall be specified at the time of recruitment.

12	13	14
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Joint Secretary Admn. Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman (ii) Controller General Patents, Designs and Trade Marks —Member	Not applicable

[No. 8/45/2000-PP&C]

RAJEEV RANJAN, Director

MGIPRRND—2224 C&I/2001—100.